

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 1980/आषाढ़ 13, 1902

No. 189]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 1980/ASADHA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त संत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 4 जुलाई, 1980

सीमा शुल्क

सा० का० नि० 394(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपने यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त संत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 117 सीमा शुल्क [सं० सा० का० नि० 318 (अ)] तारीख 9 जून, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पहली अनुसूची में क्रम सं० 35 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम- सं०	साल का वर्णन	सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची का शीर्ष सं०
"35क	खुले शीर्ष वाले हथछता कैन	73.22/23"

[सं० 135/का०सं० 602/2/79-डी० बी० के०]

महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 394(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of the 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs [No. GSR-318 (E)] dated 9th June, 1978, namely :—

In the said notification, in the First Schedule, after Serial No. 35, the following shall be inserted, namely:—

S. No.	Description of goods	Heading No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.
"35A	Open top sanitary cans	73.22/23".

[No. 135/F. No. 602/2/79-DBK]

MAHESH KUMAR, Under Secy.